

निर्णय ब-इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला गजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 14/2023 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
सरकार जरिये जयराम गुर्जर, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सदगुरु बालाजी मिष्ठान भण्डार अचरोल, आमेर
2. रामजीलाल गुर्जर पुत्र श्री झाझूराम निवासी ग्राम स्यारी, ताला मोड, आमेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत
जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 19.600
किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :-

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सांवर मल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2022 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक दुरुपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स सदगुरु बालाजी मिष्ठान भण्डार अचरोल आमेर की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री रामजीलाल गुर्जर पुत्र श्री झाझूराम उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। वक्त जांच दुकान में दो घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल से मिठाई बना कर ग्राहकों को विक्रय किया जाना पाया गया है। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स श्री बालाजी भारत गैस ऐजेन्सी अचरोल आमेर के प्रतिनिधि श्री शिव शंकर भगत मैनेजर को साहल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का तौल कराया गया जिस पर सिलेण्डरों में 19.600 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 19.600 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)



2. प्रकरण अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 04.11.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सांवर मल गुर्जर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच दुकान में दो घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल के पाये गये है जिनसे ग्राहकों को मिठाई बना कर विक्रय की जाती है। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स श्री बालाजी भारत गैस एजेन्सी अचरोल आमेर के प्रतिनिधि श्री शिव शंकर भगत मैनेजर को साल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का तौल कराया गया जिस पर सिलेण्डरों में 19.600 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल गैस एल.पी.जी को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।



5. प्रार्थी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उक्त सिलेण्डर प्रार्थी की रसोई के गैस कनेक्शन के है जो दुकान पर रखे हुये थे, जिन्हें वाणिज्यिक उपयोग में लिये जाना बता कर गलत तरीके से जब्त कर लिया गया। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 21.10.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डर स्वयं की रसोई के कनेक्शन शुदा सिलेण्डर बताया है। घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण दुकान में दो घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल के पाये गये है जिनमें से एक सिलेण्डर नम्बर 475789 में 6 कि.ग्रा. एल पी जी पाई गई है। जिससे घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाना

५१०
जिला कलेक्टर
जयपुर (प्रागति)

स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 19.600 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 19.600 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 04.11.2022 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय प्रति हरब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर (राजस्थान)